


भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Constituted under the I.M.C.G. Act, 1970

वार्षिक प्रतिवेदन
(1978-79)



Annual Report
(1978-79)

१ ई/६, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-११००५५
1E/6, Swami Ramtirtha Nagar, New Delhi-110055

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष
[यूनानी]

उपाध्यक्ष
[आयुर्वेद]

उपाध्यक्ष
[सिद्ध]

यूनानी समिति

आयुर्वेद समिति

सिद्ध समिति

शिक्षा समिति [यूनानी]

शिक्षा समिति [आयुर्वेद]

शिक्षा समिति [सिद्ध]

कार्यकारिणी समिति

पंजीयन समिति

विनियम समिति

सचिव / निबन्धक

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

सदस्यों की सूची

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष [आयुर्वेद]

उपाध्यक्ष [यूनानी]

उपाध्यक्ष [सिद्ध]

सदस्य

पंडित शिव शर्मा

कविराज आशुतोष मजूमदार

डा० हकीम सैय्यद खलीफथुल्ला

डा० ए. आनन्द कुमार

डा० आई. संजीवा राव

वैद्य दुर्गा प्रसाद शर्मा

कविराज रामरक्ष पाठक

कविराज खजान चन्द

कविराज ओमप्रकाश

वैद्य हरिदत्त शास्त्री

वैद्य ब्रह्म स्वरूप चावला

डा० आर. दयालु

डा० सी० शाह

कविराज विश्वनाथ सोबती

डा० एस० सी० सांख्यधर

डा० पी० के० वारियर

डा० कृष्णचन्द्र पिण्डावाला

डा० एल० एस० भटनागर

डा० एम० पी० पांडे

वैद्य गुलराज शर्मा मिश्र

वैद्य बी० पी० नानल

पंडित रामगोपाल शास्त्री

डा० एस० पी० किजवाडेकर

वैद्य वाई० पार्थना रायण पंडित

वैद्य पी० टी० के० नम्बीशन

कविराज एम० सी० नन्दा

महन्त हरिकृष्ण सिंह

वैद्य रामेश्वर सिंह कंवर

पंडित कीर्ति शर्मा

वैद्य दौलतराम चतुर्वेदी

वैद्य प्रभुदत्त शर्मा

डा० वी० नारायण स्वामी

वैद्य धर्मदत्त

डा० एम० एल० द्विवेदी

आचार्य बदरी विशाल त्रिपाठी

डा० पूर्णचन्द्र जैन

प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा

वैद्य रामलाल भारद्वाज

वैद्य माधव प्रसाद आचार्य

वैद्य धनीराम शर्मा

वैद्य श्रीराम शर्मा

वैद्य सीताराम मिश्र

वैद्य शिवकरण शर्मा छाँयाणी

वैद्य बृजमोहन दीक्षित

वैद्य गौरी शंकर द्विवेदी

डा० के० सत्यनारायण स्वामी
कविराज एस० भट्टाचार्य जी
डा० पी० एन० बी० कुरुप
श्री गोविन्द प्रसाद वैद्य
प्रोफेसर वी० जे० ठाकर
वैद्य लालचन्द प्रार्थी
डा० एन० श्रीधरन
डा० के० राजगोपालन
डा० एस० एस० मिश्र
वैद्य रामनारायण शास्त्री
डा० सी० बी० पुराणिक
वैद्य ए० टी० शर्मा
वैद्य मुरली मनोहर शरण शास्त्री
डा० सी० बी० पुराणिक
वैद्य सिद्धेश्वर नाथ उपाध्याय
हकीम अब्दुल अहद
डा० मदन सरूप गुप्ता
हकीम ए० आर० ए० के० मुन्तजर
हकीम मोहम्मद कयामुद्दीन
हकीम जलालुद्दीन हुशामी
हकीम वेदव्यास सिंगल
हकीम मोहम्मद इब्राहीम खान
हकीम इफतकार अहमद
हकीम एस० ए० शमसी
हकीम शमसुद्दीन
हकीम अब्दुल हमीद
हकीम मोहम्मद मुख्तार सिद्दिकी

डा० ई० आर० बालाकृष्णन
डा० आर० त्यागराजन
डा० सी० एम० उत्तमारायन
डा० जे० आर० कृष्णामूर्ति
डा० पी० गुहशिरामर्ण
डा० पी० एम० वेनुगोपाल

आयुर्वेद समिति

सभापति
सदस्य

पं० शिवशर्मा (अध्यक्ष, भा० चि० के० प०)

कविराज आशुतोष मजूमदार

डा० आई० संजीवा राव

वैद्य दुर्गाप्रसाद शर्मा

कविराज रामरक्ष पाठक

कविराज खजान चन्द

कविराज ओमप्रकाश

वैद्य हरिदत्त शास्त्री

वैद्य ब्रह्मसरूप चावला

डा० आर० दयालु

डा० सी० शाह

कविराज विश्वनाथ सोबती

डा० एस० सी० सांख्यधर

डा० पी०के० वारियर

डा० कृष्ण चन्द्र पिडावाला

डा० एल०एस० भटनागर

डा० एम०पी० पांडे

वैद्य गुलराज शर्मा मिश्र

वैद्य बी०पी० नानल

पं० रामगोपाल शास्त्री

डा० एस०पी० किजवाडेकर

वैद्य वाई० पार्थनारायण पंडित

वैद्य पी०टी०के० नम्बीशन

कविराज एम० सी० नन्दा

महन्त हरिकिशन सिंह

वैद्य रामेश्वर सिंह कंवर
पंडित कीर्ति शर्मा
वैद्य दौलतराम चतुर्वेदी
वैद्य प्रभुदत्त शर्मा
डा० वी० नारायण स्वामी
वैद्य धर्मदत्त
डा० एम० एल० द्विवेदी
आचार्य बदरी विशाल त्रिपाठी
डा० पूर्णचन्द्र जैन
प्रोफेसर प्रियदत्त शर्मा
वैद्य रामलाल भारद्वाज
वैद्य माधव प्रसाद आचार्य
वैद्य धनीराम शर्मा
वैद्य श्रीराम शर्मा
वैद्य सीताराम मिश्र
वैद्य शिवकरण शर्मा छांगानी
वैद्य बृजमोहन दीक्षित
वैद्य गौरी शंकर द्विवेदी
डा० बाई० सूर्यनारायण राव
डा० के० सत्यनारायण स्वामी
कविराज एस० भट्टाचार्यजी
डा० पी०एन०वी० कुरूप
श्री गोविन्द प्रसाद वैद्य
प्रोफेसर बी० जे० ठाकर
वैद्य लालचन्द प्रार्थी
डा० एन० श्रीधरन
डा० के० राजगोपालन
डा० एस०एस० मिश्रा

वैद्य रामनारायण शास्त्री
डा० सी०बी० पुराणिक
वैद्य ए०टी० शर्मा
वैद्य मुरली मनोहर शरण शास्त्री
वैद्य सिद्धेश्वरनाथ उपाध्याय

यूनानो समिति

सभापति
सदस्य

डा० हकीम सैय्यद खलीफथ्युल्ला
हकीम अब्दुल अहद
डा० मदन सरूप गुप्ता
हकीम ए०आर०ए०के० मुन्तजर
हकीम मोहम्मद कयामुद्दीन
हकीम जलालुद्दीन हुशामी
हकीम वेद व्यास सिधल
हकीम मोहम्मद इब्राहिम खान
हकीम इफतकार अहमद
हकीम एस० ए० शमशी
हकीम शमशुद्दीन
हकीम अब्दुल हमीद
हकीम मोहम्मद मुख्तार सिद्धिकी

सिद्ध समिति

सभापति

सदस्य

डा० ए० आनन्द कुमार
डा० ई० आर० बालाकृष्णन
डा० आर० त्यागराजन

डा० सी० एस० उत्तमारान
डा० जे० आर० कृष्णमूर्ति
डा० पी० गुरुशिरोमणि
डा० पी० एम० वेणुगोपाल

कार्यकारिणी समिति

सभापति

सदस्य

पंडित शिव शर्मा

कविराज आशुतोष मजूमदार
डा० हकीम सैय्यद खलीफथ्युल्ला
डा० ए० आनन्द कुमार
डा० वी० नारायण स्वामी
कविराज खजान चंद
श्री ए० टी० शर्मा
डा० पी० एन० वी० कुरुव
हकीम अब्दुल अहद
डा० मदन सरूप गुप्ता
डा० पी० एन० वेणुगोपाल

विनियम समिति

सभापति

सदस्य

श्री घमंदत्त वैद्य

कविराज आशुतोष मजूमदार
डा० हकीम सैय्यद खलीफथ्युल्ला
डा० ए० आनन्द कुमार
डा० मदन सरूप गुप्ता

कविराज खजान चन्द
डा० आर० त्यागराजन
डा० सी० बी० पुराणिक
वैद्य रामेश्वर सिंह कंवर
वैद्य गुलराज शर्मा मिश्र
वैद्य गोविन्द प्रसाद
हकीम वेद व्यास सिंघल

पंजीयन समिति

सभापति
सदस्य

वैद्य लालचन्द प्रार्थी
कविराज आशुतोष मजूमदार
डा० हकीम सैयद खलीफथुल्ला
डा० ए० आनन्द कुमार
डा० के० सत्यनारायण स्वामी
वैद्य दुर्गा प्रसाद शर्मा
श्री मुरली मनोहर शरण शास्त्री
हकीम अब्दुल अहद
हमीम मुहम्मद इब्राहिम खान
हकीम इफ्तिकार अहमद
डा० पी० गुरु शिरोमणि

शिक्षा समिति [आयुर्वेद]

सदस्य

कविराज आशुतोष मजूमदार
कविराज रामरक्ष पाठक
श्री ए०टी० शर्मा
वैद्य हरिदत्त शास्त्री
पं० कीर्ति शर्मा

वैद्य बी० पी० नानल
वैद्य दौलतराम चतुर्वेदी
वैद्य वाई० पार्थनारायण पण्डित
वैद्य पी०टी० के नम्बीशान
प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा
वैद्य रामनारायण शास्त्री
डा० पी० एन० बी० कुरुप
डा० मुकुन्दीलाल द्विवेदी
डा० बी० नारायण स्वामी

संयोजक

शिक्षा समिति [यूनानी]

सदस्य

डा० हकीम एस० खलीफथुल्ला
डा० हकीम एस० ए० शमसी
हकीम अब्दुल अहद
हकीम मोहम्मद मुस्तार सिद्धिकी
हकीम अब्दुल हमीद
हकीम मोहम्मद कयामुद्दीन
डा० मदन सरूप गुप्ता

संयोजक

शिक्षा समिति [सिद्ध]

सदस्य

डा० ए० आनन्द कुमार
डा० ई० आर० बालाकृष्णन
डा० आर० त्यागराजन
डा० उत्तमारायण
डा० जे० आर० कृष्णामूर्ति
डा० पी० गुरुशिरोमणि
डा० पी० एम० वेणुगोपाल

वर्ष १९७८-७९ का वार्षिक प्रतिवेदन

एवं परीक्षित लेखा

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद का गठन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम १९७०, [१९७० का ४८] के अधीन किया गया था। परिषद के मुख्य कार्य निम्न हैं :—

- (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
- (ख) भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता से सम्बन्धित विषयों में केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- (ग) भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर को समय-समय पर परिशोधित करना।
- (घ) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को विनियमित करना और भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु व्यावसायिक आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

केन्द्रीय परिषद की निम्न मुख्य समितियाँ हैं :—

- (क) आयुर्वेद समिति
- (ख) यूनानी समिति
- (ग) सिद्ध समिति

ऐसे साधारण या विशेष निदेशों जो केन्द्रीय परिषद समय-समय पर देवे के अधीन रहते हुए ऐसी प्रत्येक समिति, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति जैसी भी स्थिति हो से सम्बन्धित केन्द्रीय परिषद की क्षमता के भीतर प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए सक्षम है।

उपर्युक्त मुख्य समिति से भिन्न केन्द्रीय परिषद की निम्न समितियाँ हैं जिनके कार्य निम्न प्रकार हैं :-

कार्यकारिणी समिति

कार्यकारिणी समिति का गठन अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के ढाँचे के अन्दर केन्द्रीय परिषद के द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय परिषद के कार्यों का निष्पादन करने के लिए किया गया है। यह समिति पूर्ण रूप से तीनों भिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों अर्थात् आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती है।

विनियम समिति

केन्द्रीय परिषद के विभिन्न विनियमों का निर्माण करने और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० के अधीन उससे सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए एक विनियम समिति गठित की गई है।

पंजीयन समिति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० के अधीन पंजीयन से सम्बन्धित विषयों को देखने और इस विषय में केन्द्रीय परिषद को अनुशंसाएँ करने के लिए प्रारम्भ से ही एक पंजीयन समिति गठित की गई है।

शिक्षा समिति [आयुर्वेद]

शिक्षा समिति [आयुर्वेद] आयुर्वेदीय शिक्षा से सम्बन्धित सभी विषयों को सम्पन्न करने में सक्षम है।

शिक्षा समिति [यूनानी]

शिक्षा समिति [यूनानी] यूनानी शिक्षा से सम्बन्धित सभी विषयों को सम्पन्न करने में सक्षम है।

शिक्षा समिति [सिद्ध]

शिक्षा समिति (सिद्ध) सिद्ध शिक्षा से सम्बन्धित सभी विषयों को सम्पन्न करने में सक्षम है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, यूनानी, और सिद्ध की शिक्षा के एक-एक मानक उचित रूप से रखने हेतु इन चिकित्सा पद्धतियों में स्नातकीय पाठ्यक्रम

केन्द्रीय परिषद द्वारा शैक्षिक वर्ष १९७७-७८ से संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए विहित किए गए थे। इन पाठ्यक्रमों की पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण को भारत सरकार द्वारा १९७६ में स्वीकृत किया गया था।

केन्द्रीय परिषद ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में सूचीबद्ध अहर्ताओं की जांच की और उनकी एक सूची आवश्यक संशोधन करने लिए केन्द्र सरकार को प्रेषित की।

परिषद ने आयुर्वेद के ७२ और यूनानी के नौ महाविद्यालयों का निरीक्षण कराया। परिदर्शन प्रतिवेदन उममें प्रतिवेदित कमियों को दूर करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालयों को भेजे गये थे।

परिषद ने भारतीय चिकित्सा में ३ वर्ष की अवधि और ६ माह के विशिखानुप्रवेश वाला अधिकार पत्र पाठ्यक्रम रखने का सिद्धांत रूप में निर्णय लिया।

इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय परिषद और उसकी विभिन्न समितियों की निम्न बैठकें उनके सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए आयोजित की गयीं :-

१) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद	१
२) आयुर्वेद समिति	१
२) यूनानी समिति	१
४) सिद्ध समिति	१
५) शिक्षा समिति [आयुर्वेद]	१
६) शिक्षा समिति [यूनानी]	१
७) शिक्षा समिति [सिद्ध]	५
८) कार्यकारिणी समिति	

केन्द्रीय परिषद केन्द्र सरकार की जानकारी में यह बात लाई कि अधिकांश राज्य सरकारों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तृतीय चिकित्सा अधिकारी के रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकों को नियुक्त करने के लिए आपके निर्णय को लागू नहीं किया है।

केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्र सरकार को निम्न अनुशंसाएं कीं :-

[१] भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के महाविद्यालयों में अवदान शुल्क तत्काल बन्द किया जाय।

[२] भारतीय चिकित्सा के किसी भी महाविद्यालय को सम्बन्धिता या मान्यता प्रदान करने से पहले विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद से परामर्श किया जाना चाहिए।

[३] इन महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या दृढ़तापूर्वक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित छात्र शय्या अनुपात के अनुसार होनी चाहिए।

[४] भारतीय चिकित्सा के महाविद्यालयों के लिए कर्मचारी ढाँचा, उपकरण, स्थान आदि से सम्बन्धित न्यूनतम मानक स्वीकृत किए जाने चाहिए।

केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त अनुशंसा संख्या १.२ और ३ के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए हैं। अनुर्थ अनुशंसा विचाराधीन है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने परिषद के दिन प्रतिदिन के कार्य में राजभाषा के रूप में हिन्दी का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रयत्न किया। केन्द्रीय परिषद और उसकी विभिन्न समितियों की समस्त कार्यसूची एवं कार्यवृत्त यथासंभव द्विभाषी रूप में तैयार किए गए। केन्द्रीय परिषद के कर्मचारियों को उनके कार्यालय के कार्य में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। परिषद में राजभाषा के रूप में हिन्दी को लागू करने के लिए एक विभागीय समिति है।

परिषद् के लिए वर्ष ~~१९७६-७७~~^{१९७८-७९} के लिए बजट पूर्वानुमानों में रुपये ६-०० लाख का प्रावधान किया गया।

मैसर्स डी० सिंह एण्ड कम्पनी, अधिकार प्राप्त लेखापाल ने वर्ष १९७८-७९ के लिए केन्द्रीय परिषद के लेखाओं की लेखा परीक्षा की।

प्रतिवेदन संलग्न है। [अनुलग्नक]

डी० सिंह एण्ड कं०

अधिकार प्राप्त लेखापाल

एस० घनवन्त सिंह

बी०काम०, एल०एल०बी०, एफ०सी०ए०

ए०सी०आई०एस० (लन्दन)

दूरभाष : कार्यालय 527527, 524600

निवास 584530

1-ई/16, झण्डेवाला नगर प्रसार

नई दिल्ली-110055

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

१-ई/६, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली के सदस्यों को
लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

हमने हमारे सम्मुख प्रस्तुत की गई लेखा पुस्तकों के अनुसार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1979 को समाप्त वर्ष के संलग्न प्राप्तियों तथा भुगतानों की लेखा परीक्षा की है।

1. चूंकि परिषद् के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक कमी भी परिषद् का तुलन पत्र नहीं बनाया गया था, अतः 31 मार्च, 1979 तक का तुलन पत्र तैयार नहीं किया गया। यह वांछनीय है कि वर्ष की समाप्ति पर तुलन पत्र तैयार किया जाए ताकि लेखा परिषद् के मामलों की सच्ची और सही स्थिति प्रदर्शित करे। इससे परिषद् की परिसम्पत्ति तथा अन्य वसूली योग्य राशि पर प्रभावशाली नियंत्रण भी होगा।
2. 2,22,217.40 रुपये का व्यय 1.90 लाख रुपये के स्वीकृत बजट के विरुद्ध फुटकर व्यय के रूप में किया गया। यह संख्या 6 लाख रुपये के बजट आवंटन पर आधारित है जो भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। किन्तु उनके द्वारा रु० 5.50 लाख स्वीकृत किया गया था। रु० 5.50 लाख बजट के लिए कोई परिशोधित आवंटन नहीं था।
3. वेतनों से आयकर, भविष्य निधि आदि की कटौतियों और सम्बद्ध प्राधिकरणों को उनके भुगतान की विरुद्ध प्रविष्टियां उम विस्तार जहाँ ये देय हैं के अतिरिक्त संलग्न प्रविष्टियों और भुगतानों के लेखाओं में छोड़ दी गई हैं। उपर्युक्त अभ्युक्तियों के अधीन हमारी राय में और हमें प्रदत्त सूचना एवं विवरण के आधार पर प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा 31 मार्च, 1979 को समाप्त वर्ष की परिषद् की प्राप्तियों एवं भुगतानों का सच्चा और सही चित्र प्रस्तुत करता है।

नई दिल्ली

दिनांक 17 मार्च, 1980

ह०/-

अधिकार प्राप्त लेखापाल

000450 25252 25252

28130

220011-11-22

डी० सिंह एण्ड कं०

अधिकार प्राप्त लेखापाल

एस० धनवन्त सिंह

बी० काम, एल० एल० बी०, एफ० सी० ए०,

ए० सी० आई० एस० (लन्दन)

दूरभाष : कार्यालय 527527

524600

निवास 584530

1-ई/16, झण्डेवाला नगर प्रसार

नई दिल्ली-110055.

उपयोग प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् 1-ई/16 स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली को स्वीकृत अनुदानों के विषय में प्रस्तुत प्रमाणों से जांच लिया गया है और कि यह अनुदान उसके समर्थन में प्रस्तुत प्रमाणों से जांच लिया गया है और कि यह अनुदान पत्र के द्वारा वर्ष 1978-79 में उस उद्देश्य के लिये व्यय किया गया है जिसके लिए यह भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था। लेखा परीक्षित लेखाओं का विवरण लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में संलग्न है।

अनुदान स्वीकृति की शर्तों के अनुसार बैंक का खाता दो कार्यालय पदों के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाना आवश्यक था। किन्तु बैंक का केवल एक व्यक्ति अर्थात् निबन्धक द्वारा संचालित किया जाता है।

आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि परिषद् को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा सहायता अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

नई दिल्ली
दिनांक 17 मार्च, 1980

ह०/-
अधिकार प्राप्त लेखा
ह०/-
निबन्धक
अध्यक्ष

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

१-ई/६, स्वामी रामतीर्थ नगर,

नई दिल्ली-११००५५

३१ मार्च, १९७६ को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

प्राप्तियां	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
	रुपये	रुपये	वेतन और भत्ते		
1.4.78 को आद्य शेष			अधिकारियों का वेतन	16,987.09	
भारतीय स्टेट बैंक, करौल बाग,			अधिकारियों का अवकाश वेतन	1,372.59	18,359.68
नई दिल्ली के चालू खाते में	17,798.78		कर्मचारियों का वेतन	81,733.58	
हस्तगत रोकड़	596.04		कर्मचारियों का अवकाश वेतन	5,990.11	87,723.69
हस्तगत डाक टिकटें	29.40	18,424.22	मंहगाई भत्ता	46,208.50	
वर्ष 1978-79 में स्वास्थ्य एवं परिवार			मकान किराया भत्ता	13,993.76	
कल्याण मन्त्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान		5,50,000.00	शहर प्रतिकर भत्ता	6,269.55	
सार्दिकिल पेशगी की बसूली		75.85	चिकित्सा सुविधाएं	1,052.18	
विविध प्राप्तियां			सन्तान शिक्षा भत्ता	155.00	
रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क		2,401.00	पी० टी० ओ० रियायत	2,212.00	
अवतिरित अतिरिक्त मंहगाई भत्ता		1019.60	चिकित्साभ्यास नहीं करने का भत्ता	2,563.65	72,454.64
अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान की वापसी		326.39	फुटकर व्यय		
केन्द्रीय सरकार कर्मचारी बीमा योजना कटौती		665.50	लेखन सामग्री	98,715.78	
			टंकण एवं अनुलिपि यंत्रों की मरम्मत	1,490.12	
			दूरभाष	5,079.70	
			डाक व्यय	1,851.85	
			पुस्तकें एवं प्रकाशन	646.00	
			बैठक व्यय सहित प्रकीर्ण, पर्दियां और		
			विविध व्यय	4,120.54	
			किराया एवं उपकरण	56,400.00	
			वाहन प्रभार	1,512.75	
			एयर कण्डीशन एवं विद्युत		
			वस्तुओं की मरम्मत एवं रख रखाव	1,793.50	
			प्रेस विज्ञापन	10,929.65	
			लेखा परीक्षा शुल्क	500.00	1,83,039.89
आगे ले जाया गया		5,729,12.56	आगे ले जाया गया		3,61,577.90

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
आगे लाया गया		5,72,912.56	आगे लाया गया		3,61,577.90
			उपस्कर (फर्नीचर) साज सामान तथा अन्य फुटकर वस्तुओं की खरीद		
			एडाप्टर सहित फोनकुलेटर	509.30	
			वोल्टेज नियंत्रक	1,573.00	
			आपात लाईट	5,018.00	
			उपस्कर	23,475.01	
			फ्रिजिंग मशीन	4,703.80	
			डैजर्ट कूलर	3,876.40	39,177.51
			<u>कर्मचारियों एवं अन्य को भत्ता</u>		
			त्योहार पेशगी	740.00	
			बाढ़ पेशगी	3,269.00	
			फ्रिजिंग मशीन टिकटों के लिए		
			पोस्ट मास्टर को	1000.00	4,009.00
			<u>सदस्यों को यात्रा भत्ता और वैनिक भत्ता</u>		
			अध्यक्ष/कर्मचारी/निगरान्त को	6,619.00	
			परिषद् की बैठक के सदस्यों को	47,158.60	
			कार्यकारी समिति के सदस्यों को	19,820.43	
			शिक्षा समिति [प्रायु०] के सदस्यों को	4,180.65	
			शिक्षा समिति [युवागी] के सदस्यों को	4,866.20	
			शिक्षा समिति (मिड) के सदस्यों को	227.70	
			विनियम समिति के सदस्यों को	80.00	
			चयन समिति के सदस्यों को	1,096.65	
			उप समिति के सदस्यों को	1,685.65	
			संयुक्त समिति के सदस्यों को	20.00	
			साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को	213.10	
			परिदर्शन समिति के सदस्यों को	14,789.35	
			जांच समिति के सदस्यों को	540.00	
					<u>1,01,297.35</u>
आगे लाया गया		5,72,912.56	आगे ले जाया गया		<u>5,06,061.76</u>

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

१-ई/६, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-११००५५

दिनांक ३१ मार्च, १९७९ को अंशदायी भविष्य निधि का तुलन पत्र

दायित्व	राशि रुपये	राशि रुपये	परिसम्पत्ति	राशि रुपये	राशि रुपये
ब्याज सहित सदस्यों एवं परिषद् का अंशदान			बैंक में शेष		
1-4-1978 का शेष		53,987.17			
जोड़ा i] अंशदान	5,667.78		भारतीय स्टेट बैंक के बचत		
ii] वर्ष में अंशदान	5,364.88		बैंक खाते में	12,463.47	
iii] वर्ष में जमा हुआ ब्याज	4,471.39		भारतीय स्टेट बैंक के सावधि		62,463.47
iv] वर्ष में कर्मचारियों से वसूल और			जमा खाते में	50,000.00	9,065.00
उनके खाते में जमा किया गया ब्याज	120.95	15,625.00	सदस्यों को ऋण		<u> </u>
अतिरिक्त महंगाई भत्ते में सदस्यों					
का अंशदान		1,916.30			
	योग	<u>71,528.47</u>			<u>71,528.47</u>

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

हमारे सम तिथि प्रतिवेदन के अनुसार लेखा परीक्षित

नई दिल्ली

दिनांक 17-3-80

ह०/-

अधिकार प्राप्त लेखापाल

ह०/-

सहयुक्त

ह०/-

निबन्धक

Central Council of Indian Medicine

List of Members

President	Pandit Shiv Sharma
Vice President (Ayurved)	Kaviraj A. Majumdar
Vice President (Unani)	Dr. Hkm. Syed Khaleefathullah
Vice President (Siddha)	Dr. A. Anandkumar
Members	Dr. I. Sanjeeva Rao
	Vaidya D. P. Sharma
	Kaviraj R. R. Pathak
	Kaviraj Khazan Chand
	Kaviraj Om Parkash
	Vaidya Hari Dutt Shastri
	Vaidya Brahma Swarup Chawla
	Dr. R. Dayalu
	Dr. C. Shah
	Kaviraj Vishwanath Sobti
	Dr. S. C. Sankhyadhar
	Dr. P. K. Warriar
	Dr. Krishna Chandra Pindawala
	Dr. L. S. Bhatnagar
	Dr. M. P. Pandey
	Vaidya Gulraj Sharma Mishra
	Vaidya B. P. Nanal
	Pandit Ram Gopal Shastri
	Dr. S. P. Kinjawadekar
	Vaidya Y. Parthananarayana Pandit

Vaidya P. T. K. Nambison
Kaviraj M. C. Nanda
Mahant Hari Kishan Singh
Vaidya Rameshwar Singh Kanwar
Pandit Keerti Sharma
Vaidya D. R. Chaturvedi
Vaidya Prabhu Dutt Sharma
Dr. V. Narayanaswami
Vaidya Dharma Dutt
Dr. M. L. Dwivedi
Acharya Badari Vishal Tripathi
Dr. P. C. Jain
Prof. P. V. Sharma
Vaidya Ram Lal Bhardwaj
Vaidya Madhav Prasad Acharya
Vaidya Dhani Ram Sharma
Vaidya Shri Ram Sharma
Vaidya Sita Ram Mishra
Vaidya Shiv Karan Sharma Chhangani
Vaidya Brij Mohan Dixit
Vaidya Gauri Shankar Dwivedi
Dr. Y. Suryanarayana Rao
Dr. K. Satyanarayana Swamy
Kaviraj S. Bhattacharjee
Dr. P. N. V. Kurup
Shri Govind Prasad Vaidya
Prof. V. J. Thakar
Vaidya Lal Chand Prarthi
Dr. N. Shreedharan

Dr. K. Rajgopalan
 Dr. S. S. Mishra
 Vaidya Ram Narayana Shastri
 Dr. C. B. Puranik
 Vaidya A. T. Sarma
 Vaidya Murli Manohar Sharan Shastri
 Vaidya Siddheshwar Nath Upadhyaya
 Hakim Abdul Ahad
 Dr. Madan Sarup Gupta
 Hakim A. R. A. K. Muntazar
 Hakim Mohd Qayamuddin
 Hakim Jalaluddin Hussami
 Hakim Ved Vyas Singhal
 Hakim Mohd. Ibrahim Khan
 Hakim Iftikhar Ahmed
 Hakim S. A. Shamsi
 Hakim Shamsuddin
 Hakim Abdul Hameed
 Hakim Mohd. Mukhtar Siddiqui,
 Dr. E. R. Balakrishnan
 Dr. R. Thyagarajan
 Dr. C. S. Uthamoroyan
 Dr. J. R. Krishnamoorthi
 Dr. P. Gurushiromani
 Dr. P. M. Venugopal

Ayurved Committee

Pandit Shiv Sharma (President CCIM)
 Kaviraj A Majumdar
 Dr. I. Sanjeeva Rao
 Vaidya D. P. Sharma
 Kaviraj R. R. Pathak
 Kaviraj Khazan Chand
 Kaviraj Om Parkash
 Vaidya Hari Dutt Shastri
 Vaidya Brahma Swarup Chawla
 Dr. R. Dayalu
 Dr. C. Shah
 Kaviraj Vishwanath Sobti
 Dr. S. C. Sankhyadhar
 Dr. P. K. Warriar
 Dr. Krishan Chandra Pindawala
 Dr. L. S. Bhatnagar
 Dr. M. P. Pandey
 Vaidya Gulraj Sharma Mishra
 Vaidya B. P. Nanal
 Pandit Ram Gopal Shastri
 Dr. S. P. Kinjawadekar
 Vaidya Y. Parthanarayana Pandit
 Vaidya P. T. K. Nambison

Kaviraj M. C. Nanda
Mahant Hari Kishan Singh
Vaidya Rameshwar Singh Kanwar
Pandit Keerti Sharma
Vaidya D. R. Chaturvedi
Vaidya Prabhu Dutt Sharma
Dr. V. Narayanaswami
Vaidya Dharm Dutt
Dr. M. L. Dwivedi
Acharya Badari Vishal Tripathi
Dr. P. C. Jain
Prof. P. V. Sharma
Vaidya Ram Lal Bhardwaj
Vaidya Madhav Prasad Acharya
Vaidya Dhani Ram Sharma
Vaidya Shri Ram Sharma
Vaidya Sita Ram Mishra
Vaidya Shiv Karan Sharma Chhangani
Vaidya Brij Mohan Dixit
Vaidya Gauri Shankar Dwivedi
Dr. Y. Suryanarayana Rao
Dr. K. Satyanarayana Swamy
Kaviraj S. Bhattacharjee
Dr. P. N. V. Kurup
Shri Govind Prasad Vaidya
Prof. V. J. Thakar

Vaidya Lal Chand Prarthi
Dr. N. Shreedharan
Dr. K. Rajgopalan
Dr. S. S. Mishra
Vaidya Ram Narayan Shastri
Dr. C. B. Puranik
Vaidya A. T. Sharma
Mahant Murli Manohar Sharan Shastri
Vaidya Siddheshwar Nath Upadhyaya

Unani Committee

CHAIRMAN
MEMBERS

Dr. Hkm. Syed Khaleefathullah
Hakim Abdul Abad]
Dr. Madan Sarup Gupta
Hakim A.R.A.K. Muntazar
Hakim Mohd. Qayamuddin
Hakim Jalaluddin Hussami
Hakim Ved Vyas Singhal
Hakim Mohd. Ibrahim Khan
Hakim Ifikhar Ahmed
Hakim S. A. Shamsi
Hakim Shamsuddin
Hakim Abdul Hameed
Hakim Mohd Mukhtar Siddiqui

Siddha Committee

CHAIRMAN
MEMBERS

Dr. A. Anandkumar
Dr. E. R. Balakrishanan
Dr. R. Thyagarajan
Dr. C. S. Uthamoroyan
Dr. J. R. Krishnamoorthi
Dr. P. Gurushiromani
Dr. P. M. Venugopal

Executive Committee

CHAIRMAN
MEMBERS

Pt. Shiv Sharma
Kaviraj A. Majumdar
Dr. Hakim Syed Khaleefathullah
Dr. A. Anandkumar
Dr. V. Narayanaswami
Kaviraj Khazan Chand
Shri A. T. Sarma
Dr. P. N. V. Kurup
Hkm. Abdul Ahad
Dr. Madan Sarup Gupta
Dr. P. M. Venugopal

Regulation Committee

CHAIRMAN
MEMBERS

Shri Dharm Dutt Vaidya
Kaviraj A Majumdar

Dr. Hkm. Syed Khaleefathullah
Dr. A. Anandkumar
Dr. Madan Sarup Gupta
Kvj. Khazan Chand
Dr. R. Thyagarajan
Dr. C. B. Puranik
Vaidya Rameshwar Singh Kanwar
Vaidya Gulraj Sharma Mishra
Vaidya Govind Prasad
Hkm. Ved Vyas Singhal

Registration Committee

CHAIRMAN
MEMBERS

Vd. Lal Chand Prarthi
Kaviraj A. Majumdar
Dr. Hkm. Syed Khaleefathullah
Dr. A. Anandkumar
Dr. K. Satyanarayana Swami
Vaidya Durga Prasad Sharma
Mahant Murli Manohar Sharan Shastri
Hakim Abdul Ahad
Hakim Md. Ibrahim Khan
Hakim Iftikhar Ahmed
Dr. P. Gurushiromani

Education Committee (Ayurved)

MEMBERS

Kvj. A. Majumdar
Kvj R. R. Pathak

Shri A. T. Sarma
Vd. Hari Dutt Shastri
Pt. Keerti Sharma
Vd. B. P. Nanal
Vd. D. R. Chaturvedi
Vd. Y. Parthasarayana Pandit
Vaidya P. T. K. Nambison
Prof. P. V. Sharma
Vaidya Ram Narayan Shastri
Dr. P. N. V. Kurup
Dr. M. L. Dwivedi
Dr. V. Narayanaswami

CONVENER

Education Committee (Unani)

MEMBERS

Dr. Hkm. Syed Khaleefathullah
Hkm. S. A. Shamsi
Hkm. Abdul Ahad
Hkm. Mohd. Mukhtar Siddiui
Hkm. Abdul Hameed
Hakim. Mohd. Qayamuddin
Dr. Madan Sarup Gupta

CONVENER

Education Committee (Siddha)

MEMBERS

Dr. A. Anandkumar
Dr. E. R. Balakrishnan
Dr. R. Thyagarajan
Dr. C. S. Uthamoroyan
Dr. J. R. Krishnamoorthy
Dr. P. Gurushiromani
Dr. P. M. Venugopal

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Annual Report/Audited Accounts for the Year 1978-79

The Central Council of Indian Medicine was constituted in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970). The main functions of the Council are :-

- i) To prescribe minimum standards of education for courses in Indian System of medicine, viz. Ayurved, Unani and Siddha.
- ii) To advise Central Govt. in matters relating to recognition of medical qualifications in Indian Medicine.
- iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
- iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners of Indian Medicine.

The Central Council has the following main committees :-

- i) Ayurved Committee
- ii) Unani Committee
- iii) Siddha Committee

Subject to such general or specific directions as the Central Council may from time to time give, each such Committee is competent to deal with any matter relating to Ayurved, Siddha and Unani systems of Medicine, as the case may be, within the competence of the Central Council. Apart from the above main Committees, the Central Council has the following committees, functions of which are as under :-

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee has been constituted to discharge the functions of the Central Council within the framework of THE ACT and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Committee is fully represented by three different systems of Indian Medicine i. e. Ayurved, Unani and Siddha.

REGULATION COMMITTEE

There is a Regulation Committee constituted to draw up various regulations of the Central Council and to consider various matters relating there to under the IMCC Act, 1970.

REGISTRATION COMMITTEE

There is a Registration Committee constituted from the beginning to look into the matters relating to registration under the I. M. C. C. ACT, 1970 and to make recommendations to the Central Council on the subject.

EDUCATION COMMITTEE (AYURVED)

The Education Committee (Ayurved) is competent to deal with all the matters pertaining to Ayurvedic Education.

EDUCATION COMMITTEE (UNANI)

The Education Committee (Unani) is competent to deal with all matters pertaining to Unani Education.

EDUCATION COMMITTEE (SIDDHA)

The Education Committee (Siddha) is competent to deal with all matters pertaining to Siddha Education.

In order to have uniform standards of education in Indian Medicine, viz Ayurved, Unani and Siddha, the under-graduate courses in these systems of Medicine were prescribed by the Council for implementation through out India from the academic year 1977-78. The curriculum and syllabus for these courses were sanctioned by the Govt. of India in 1976.

The Central Council screened the qualifications listed in the Second and Third Schedules to the IMCC Act. 1970 and submitted a list thereof to the Central Govt. for making necessary corrections.

The Council carried out Visitation of 72 Ayurvedic and nine Unani Colleges. The reports of visitations were circulated to the colleges concerned to make up the deficiencies reported therein.

The Council took a decision in principle to have a diploma course of 3 years duration plus six months internship in Indian Medicine.

During the year, following meetings of the Central Council and its various committees were convened to consider the issues relating to them :-

1. Central Council of Indian Medicine	1
2. Ayurved Committee	1
3. Unani Committee	1
4. Siddha Committee	1
5. Education Committee (Ayurved)	1
6. Education Committee (Unani)	1
7. Education Committee (Siddha)	1
8. Executive Committee	5

The Central Council brought to the notice of the Central Government that most of the State Governments have not implemented their decision to appoint the ISM graduates as a Third Medical Officer in the Primary Health Centres.

The Central Council made the following recommendations to the Central Govt :-

1. Capitation fee in Colleges of ISM be stopped forthwith.

2. CCIM should be consulted by the University/State Govt. before according affiliation/recognition to any new college of Indian Medicine.
3. The number of students in these colleges be strictly in accordance with the student bed ratio prescribed by the CCIM.
4. The minimum standards relating to staffing pattern, equipments, accomodation etc. for the colleges of Indian Medicine should be sanctioned.

The Central Govt. has issued directives in regard to recommendation No. 1, 2, and 3 above. The 4th recommendation is under consideration.

The CCIM made efforts to make maximum use of Hindi as an official language in day to day work of the Council. All agenda and minutes of the Central Council and its various committees were prepared bilingually as far as possible. Employees of the Central Council were encouraged to use Hindi language in their official work. There is a Departmental Committee for the implementation of Hindi as an official language in the Council.

A provision of Rs. 6.00 lacs was made in the Budget Estimates for the year 1978-79 for the Council.

M/s D. Singh & Co. Chartered Accountants, audited the accounts of the Central Council for the year 1978-79. The report is enclosed.

D. SINGH & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Phone :
Off. 527527, 524600
Res. 584530
1-E/18, JHANDEWALAN EXTN.
NEW DELHI-110055.

S. DHANWANT SINGH
B. Com. LL.B., F.C.A., A.C.I.S. (London)
AUDITORS' REPORT TO THE MEMBERS OF CENTRAL
COUNCIL OF INDIAN MEDICINE, 1-E/6, SWAMI
RAM TIRTHA NAGAR, NEW DELHI.

We have audited the annexed Receipts & Payments Account of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year ended 31st March, 1979 in accordance with books of account as produced before us.

1. As no Balance Sheet of the Council was ever prepared since its inception, therefore no balance sheet as at 31st March, 1979 was prepared. It is desirable that Balance Sheet as at the close of the year be prepared, so that the accounts may show a true and correct state of affairs of the Council. This will also have an effective control over the assets of the Council and other recoverable amounts.
2. Expenses of Rs. 2, 22, 217. 40 were incurred on contingencies against the sanctioned budget of Rs. 1.90 lacs. This figure is based on the allocation of Rs. 6 lacs budget which was submitted to the Government of India, but was sanctioned by them for Rs. 5.50 lacs. There was no revised allocation for Rs. 5.50 lacs budget.
3. Contra entries for deduction from Salaries of Income Tax, Provident Fund, etc. and the payments there of to concerned authorities have been eliminated in the enclosed Receipts and Payments Accounts except to the extent to which these are outstanding.

Subject to the above remarks in our opinion and to the best of our information and explanations given to us, Receipts and Payments Account gives a true and correct view of the Councils Receipts and Payments for the year ended 31st March, 1979.

NEW DELHI :
DATED 17.3.80

Sd/-
CHARTERED ACCOUNTANTS

D. SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Phone : Off. 527527
524600
Res. 584530

S. DHANWANT SINGH 1—E/18 JHANDEWALAN EXTN.
B. Com., LL. B. A.C.I.S. (London) NEW DELHI-110055.
UTILISATION CERTIFICATE

Certified that expenditure against the grants sanctioned to the Central Council of Indian Medicine, 1—E/6 Swami Ram Tirtha Nagar, New Delhi has been verified from the vouchers in support therefor and that it has been incurred by the Council during the year 1978-79 for the purpose for which it was sanctioned by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare. Audited statements of accounts alongwith Auditors' Report is attached herewith.

As per the terms of sanction of grant the bank account was required to be operated jointly by two office bearers, but the bank account is operated by one person only i. e. the Registrar.

It is further certified that the Council was not sanctioned any grant-in-aid by any other department of the Central or State Government.

NEW DELHI :

DATED : 17. 3. 80

Sd/-
REGISTRAR

Sd/-
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
PRESIDENT

Centri

RECEIPTS	RECEIPTS AND PAY
	AMOUNT
	Rupees
OPENING BALANCE AS ON 1.4.1978
IN CURRENT ACCOUNT WITH STATE BANK OF INDIA KAROL BAGH, NEW DELHI	17,798.75
CASH IN HAND	596.00
STAMPS IN HAND	29.40
GRANT IN AID RECEIVED FROM MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE DURING THE YEAR 1978-79
RECOVERY OF CYCLE ADVANCE	
MISC. RECEIPTS-RATE	
FEE FOR APPLICATION RECRUITMENT OF VACANT POSTS	
UNDISBURSED ADDITIONAL D.A.	
REFUND OF CONTRIBUTION OF C.P.F.	
CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES INSURANCE SCHEME DEDUCTIONS	

Central Council of Indian Medicie

1-E/6, Swami Ram Tirth Nagar,
NEW DELHI-110055

RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 1979

RECEIPTS	AMOUNT Rupees	AMOUNT Rupees	PAYMENTS	AMOUNT Rupees	AMOUNT Rupees
OPENING BALANCE AS ON 1.4.1978			PAY AND ALLOWANCES :		
IN CURRENT ACCOUNT WITH STATE BANK OF INDIA KAROL BAGH, NEW DELHI	17,798.78		Pay of Officers	16,987.09	
CASH IN HAND	596.04		Leave Salary of Officers	1,372.59	18,359.68
STAMPS IN HAND	29.40	18,424.22	Pay of Establishment	81,733.58	
GRANT IN AID RECEIVED FROM MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE DURING THE YEAR 1978-79		5,50,000.00	Leave Salary of establishment	5,990.11	87,723.69
RECOVERY OF CYCLE ADVANCE		75.85	Dearness Allowance	46,208.50	
MISC. RECEIPTS-RATE			House Rent Allowance	13,993.76	
FEE FOR APPLICATION RECRUITMENT OF VACANT POSTS		2,401.00	City Compensatory Allowance	6,269.55	
UNDISBURSED ADDITIONAL D.A.		1,019.60	Medical Facilities	1,057.18	
REFUND OF CONTRIBUTION OF C.P.F.		326.39	Children Education Allowance	155.00	
CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES INSURANCE SCHEME DEDUCTIONS		665.50	P.T.O. Concession	2,212.00	
			Non Practising Allowance	2,563.65	72,454.64
			CONTINGENCIES :		
			Stationery	98,715.78	
			Repair of Typewriter & Duplicators	1,490.12	
			Telephones	5,079.70	
			Postage	1,851.85	
			Books & Publications	645.00	
			Sundries, Liveries & Misc. including Meeting Expenses	4,120.54	
			Rent, Rates & Taxes	56,400.00	
			Conveyance Charges	1,512.75	
			Repair & Maintenance of Air Conditioners & Elec. Goods.	1,793.50	
			Press Advertisement	10,929.65	
			Audit Fee	500.00	1,83,039.89
C/F		5,72,912.56	C/F		3,61,577.90

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
B/F		572912.56	B/F		3,61,577.90
			PURCHASE OF FURNITURE, FIXTURE AND OTHER CONTINGENCIES		
			Calculator with Aclopters	509.30	
			Voltage Controllers	1,573.00	
			Emergency Lights	5,038.00	
			Furniture	23,475.00	
			Franking Machine	4,705.80	
			Desert Cooler	3,876.40	39,177.51
			ADVANCE TO STAFF & OTHERS :		
			Festival Advance	740.00	
			Flood Advance	2,269.00	
			Post Master for Franking	1,000.00	4,009.00
			Machine Stamps	
			T.A./D.A. to Members :		
			To President/Staff/Registrar	6,619.00	
			To Council meeting members	47,158.60	
			To Executive Committee members	19,820.45	
			To Education Committee (Ay.) members	4,180.65	
			To -do- (Unani) members	4,866.20	
			To -do- (Siddha) members	227.70	
			To Regulation Committee members	80.00	
			To Selection Committee members	1,096.65	
			To Sub-Committee members	1,685.65	
			To Joint Committee members	20.00	
			To Candidates appearing for interview	213.10	
			To Visiting Committee members	14,789.35	
			To Enquiry Committee members	540.00	1,01,297.35
					5,06,061.76
C/F		5,72,912.56	C/F		

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

**1 E/6, Swami Ram Tirth Nagar
New Delhi-110055**

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 1979

LIABILITIES	AMOUNT Rupees	AMOUNT Rupees	ASSETS	AMOUNT Rupees	AMOUNT Rupees
MEMBERS & COUNCIL CONTRIBUTION INCLUDING INTT.			BANK BALANCE		
Balance as at 1-4-1978		53,987.17	In Saving Bank Account with State Bank of India	13,463.47	
Add i) Subscription during the year	5,667.78		In Fixed Deposit Account with State Bank of India	50,000.00	62,463.47
ii) Contribution during the year	5,364.88				
iii) Intt. during the year credited.	4,471.39		LOANS TO MEMBERS		9,065.00
iv) Intt. during the year recovered from employees and credited to their accounts.	120.95	15,625.00			
Members contribution to Addl. D.A.		1,1960.3			
TOTAL		Ru. 71,528.47			Ru. 71,528.47

AUDITORS' REPORT

Audited as per our Report of even date.

NEW DELHI
Dated : 17-3-1980

Sd/-
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
REGISTRAR

Sd/-
PRESIDENT

For the Year 1978-79
Assets Acquired Wholly or Substantially Out of
Government Grants Register Maintained by Grantee Institutions

BLOCK ACCOUNT MAINTAINED BY SANCTIONING AUTHORITIES

Name of Sanctioning Authority - MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, DEPARTMENT OF HEALTH

S. No.	Name of the Grantee Institution	No. & Date of Sanction	Amount of grant	Brief Purpose of the grant	Whether any condition regarding the right of ownership of Govt. in the property or other assets acquired out of the grant-in-aid sanctioned (the assets acquired out of the grants shall not without the prior Sanction of the Govt. of India be disposed or encumbered or utilised for the purpose other than those for which the grant was sanctioned,	Particulars of assets actually created or acquired.	Value as on 31st Mach, 1979.	Purpose for which utilised at present	Encumbered or not	Reasons if encumbered	Dispos- ed or not	Rea- sons and au- thor- ity if any, dis- pos- ed for	Amount Realise on dis- posal	R E M A R K S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Central Council of Indian Medicine	G 27017/ 3/78-AE dt. 2.5.1978	1,00,000.00	To maintain the Standards of Indian System of Medicine.	Yes	1. Steel Tables (6) 2. Wooden Table (2) 3. Steel Almirah (8) 4. Steel Chair (6) 5. Sofa Set (1)	3,021.84 1,353.00 8,009.67 390.20 2,145.00	Official Use	No.	N.A.	No.	N.A.	N.A.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	-do-	G. 27017/3/78-AE												
		dt. 17.8.1978	Rs. 2,00,000.00	To maintain	Yes	6. Skelton Racks (12)	3,646.40	Official No.	N.A.	No.	N.A.	No.	N.A.	No.
				the Central Register of		7. Voltage Controller (1)	1,573.00	use	"	"	"	"	"	"
3.	-do-	G. 27017/3/78-AE		the practi-		8. Deseret Cooler (2)	3,876.40	"	"	"	"	"	"	"
		dt. 19.3.1979	Rs. 2,50,000.00	tioners of Indian Systems of Medicine,	Yes	9. Emergency Light (2)	5,038.00	"	"	"	"	"	"	"
						10. Ballot Boxes (2)	246.40	"	"	"	"	"	"	"
						11. Notice Board (1)	192.50	"	"	"	"	"	"	"
						12. Intercom Set (8)	4,470.00	"	"	"	"	"	"	"
						13. Calculators (3)	429.00	"	"	"	"	"	"	"
						14. Adopter for Calculators (2)	80.30	"	"	"	"	"	"	"
						15. Franking Machine (1)	4,705.80	"	"	"	"	"	"	"
			Rs. 5,50,000.00				Rs. 39,177.51							

New Delhi,
Dated 17-3-1980.

Sd/-
For & on Behalf of
D. Singh & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
PRESIDENT

Sd/
REGISTRAR

सुद्धक :

सर्वोदय प्रेस, ६५१२, बागरावजो,
गौशाला मार्ग, किशनगज, दिल्ली-६